



# कहानी

subhasaverenews@gmail.com

facebook.com/subhasaverenews

www.subhasavere.news

twitter.com/subhasaverenews

## शरद की सुबह

उस काली रात में हवा में उड़ता जहर अंधाधुंध भागते पैर कटे वृक्ष की तरह गिरते लोग भीषण टंड में साँसों में अंदर घुलता जहर।

हर कोई नीलकंठ तो नहीं हो सकता जो निगल ले उस हलाहल को रोंते-बिलखते बच्चे श्मशान बनती भोपाल की सड़कें बिखरे शव।

और लहराता एंडरसन किसी प्रेत की तरह अड्डहास लगाता उड़ गया हमारे खुद के पिशाचों की मदद से पीछे छोड़ गया कई हजार लाशें।

आर्तनाद, चीखें अंधे, बहरे चमड़ी उधड़े चेहरे लाखों मासूमों को जो आज भी भुगत रहे हैं उन क्षणों को जब एक जहर उतरा था भोपाल की सड़कों पर।

— सुशील कुमार शर्मा

## प्रसंगवश

### भोपाल गैस त्रासदी



विभूति झा

(भोपाल गैस त्रासदी का मुआवजा दिलवाने वाले वकील तथा लेखक)

गैस त्रासदी और उसके भयावह परिणामों के संबंध में जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 04 दिसंबर, 1984 को ही न्यायिक जाँच आयोग के गठन की घोषणा की थी। 06 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया। आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश थे। उसी गजट नोटिफिकेशन में जाँच आयोग के विचार हेतु बिन्दुओं का भी निर्धारण किया गया। आयोग को 'भोपाल जहरीली गैस त्रासदी जाँच आयोग' नामित किया गया।

गैस विभीषिका से उत्पन्न स्थिति और उसकी जाँच में लगी सरकारी इकाइयों तथा यूनिनयन कार्बाइड फैक्ट्री की स्थापना में केंद्र सरकार की भूमिका को देखते हुए मोर्चे ने तय किया कि प्रारंभिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक जाँच आयोग के गठन को चुनौती देना तथा यह माँग करना उचित होगा कि न्यायिक जाँच आयोग का गठन केंद्र सरकार करे। इसे ध्यान में रखते हुए मोर्चे की ओर से 12/03/85 को मध्य प्रदेश शासन को वैन एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया। इसकी प्रतिलिपि जाँच आयोग को भी दी गई। मोर्चे ने अनुरोध किया कि कार्यवाही आगे बढ़ाने के पूर्व आयोग अपने क्षेत्राधिकार पर विचार करे। प्रतिवेदन में मुख्य रूप से कहा गया कि-

बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिनयन कार्बाइड कार्पोरेशन तथा उसकी भारतीय इकाई यूनिनयन कार्बाइड इंडिया ने केंद्र सरकार से अनुबंध कर भोपाल में कारखाना स्थापित किया। कारखाने की स्थापना में केंद्र सरकार विभागों की सहमति ली गई। गैस त्रासदी के तुरंत पश्चात केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने जाँच-पड़ताल की, जिन्होंने अनेक

महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए। इन सभी पर न्यायिक जाँच में विचार किया जाना अनिवार्य होगा।

जाँच के बिन्दुओं में से अधिकतर का संबंध भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की लिस्ट-1 अर्थात् यूनिनयन लिस्ट से है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग को इन बिन्दुओं पर विचार और निष्कर्ष लेने के लिए आवश्यक शक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। इस दृष्टि से इन बिन्दुओं पर जाँच के लिए केंद्र सरकार ही सक्षम है न कि राज्य सरकार।

कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 6-ए के अनुसार जब तक यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता कि जाँच आयोग को उत्पादन की प्रक्रिया के विषय में भी जाँच करने के लिए अधिकृत किया गया है, तब तक कार्बाइड को अपने उत्पादन की गोपनीय प्रक्रियाओं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मप्र शासन के नोटिफिकेशन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं होने से जाँच पूरी नहीं हो सकेगी।

जाँच के बिन्दुओं में बिन्दु क्रमांक 7 पूरी तरह से असंबद्ध और अनावश्यक है। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री का पलायन गैस त्रासदी के कारणों से जुड़ा नहीं हो सकता। जाँच का यह बिन्दु केवल राजनीतिक तमाशा है, जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने और मुख्यमंत्री की साख बचाने के लिए शामिल किया गया है।

इन सभी आधारों पर मप्र शासन से अनुरोध किया गया कि वर्तमान जाँच आयोग को समाप्त कर केंद्र सरकार से अविचल एक सक्षम न्यायिक जाँच आयोग का गठन का अनुरोध किया जाए। इससे गैस त्रासदी के कारणों और परिणामों की विस्तृत जाँच हो और निष्कर्ष सामने आ सकें।

26 मार्च, 1985 को जाँच आयोग की पहली बैठक की कार्यवाही का निरीक्षण करने के

बाद मोर्चा सदस्यों ने फिर से इस संबंध में विचार किया। यह समझ बनाई गई कि पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति को सुरक्षित रखते हुए आयोग की सुनवाई में गैस पीड़ितों का पक्ष रखना आवश्यक है। इसके मद्देनजर 04/85 को मोर्चा ने जाँच आयोग को एक और प्रतिवेदन दिया। इसमें न्यायिक जाँच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने तथा दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई।

हालाँकि सोडियम थायोसल्फेट विवाद के चलते मैंने अपने आपको मोर्चा की अन्य गतिविधियों से अलग कर लिया था, लेकिन कानूनी मुद्दों पर प्रतिनिधित्व जारी रखना तय किया था। अतः आयोग के समक्ष मोर्चे का प्रतिनिधित्व मैं ही कर रहा था। संभवतः 26 जून को जब हमारे आवेदन पर सुनवाई होनी थी, तब मोर्चे की संचालन समिति के सदस्य अनिल सद्गोपाल ने आयोग की बैठक में आकर मुझसे कहा कि आवेदन वापस ले लूँ। आगे से मोर्चे की ओर से सुश्री इंदिरा जयसिंह उपस्थित होंगी, जो 'लॉयर्स कलेक्टिव' की ओर से पहले ही आयोग के समक्ष उपस्थित हो रही थीं। मैंने आवेदन वापस लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी ओर से एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 5-ए के अंतर्गत था। इसमें अनुरोध था कि यदि आयोग यह निर्धारित करे कि उसे जाँच के बिन्दुओं पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी परिस्थिति में अधिनियम की धारा 5-ए के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय जाँच एजेंसियों को आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करने तथा अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएँ, जिससे वास्तविक जांच हो सके (इस आवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं है)। इन दोनों आवेदनों पर आयोग ने एक साथ सुनवाई की,

जो निरंतर दो दिन चली।

मेरे आवेदन दि. 12/03/1985 के विरोध में एडवोकेट जनरल, मप्र शासन, लॉयर्स कलेक्टिव एवं भारतीय मजदूर संघ के अधिवक्ताओं तथा यूनिनयन कार्बाइड के अधिवक्ताओं ने भी उत्तर दिया। आयोग ने 23/07/85 को नौ पृष्ठ का विस्तृत आदेश पारित कर मेरे दोनों आवेदनों का निराकरण किया। आयोग ने पाया कि उसकी नियुक्ति उचित ढंग से हुई है और प्रदेश सरकार को तथ्यांक का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार पहला आवेदन अस्वीकार किया गया। दूसरे आवेदन पर विचार करते हुए आयोग ने कहा कि इसमें दिया गया सुझाव पूरी तरह से उचित और तार्किक है। आयोग ने सचिव को आदेश दिया कि वह तीन दिन के अंदर आवेदन में निर्देशित केंद्रीय जाँच एजेंसियों की सेवाएँ आयोग को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करे, जिससे आयोग की जाँच सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि आयोग के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद आयोग की जाँच और सुनवाई बाधित हो रही। आयोग के कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई जिस कारण बिना किसी जाँच और निष्कर्ष के दिनांक 15/12/85 को आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। जब ऐसा प्रतीत होने लगा कि आयोग की कार्यशैली से गैस त्रासदी संभवतः वास्तविक कारण और जिम्मेदारियों जनसाधारण के समक्ष उजागर हो सकती हैं, तो सरकार ने ऐसे आयोग को भंग करना ही उचित समझा। हालाँकि कार्बाइड के खिलाफ कानूनी लड़ाई की दिशा में मेरे लिए यह पहला कदम साबित हुई।

(लेखक की पुस्तक 'कठघरे में साँसें: भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक' के संपादित अंश)

## पंजाब में किसानों का रेल रोकने का ऐलान

# 19 जिलों में 26 जगह पटरियों पर बैठेंगे किसान

## ● 5 को दो घंटे का प्रदर्शन, कोई हाई-वे नहीं रोकेंगे

अमृतसर (एजेंसी)। शंभू-खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा ने 5 दिसंबर को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। मोर्चा के संयोजक सरवण पंधे ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 जगह ट्रेनें रोकी जाएंगी। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए किया जाएगा। इस दौरान रोड जाम नहीं होगी। पंधे ने कहा कि एमएसपी की गारंटी के कानून समेत किसानों की कई मांगों पर केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। इसकी वजह से किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा में सख्ती रहेगी।



## विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट बैठक

# नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक योजना में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत



### मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाधा वित पोषित योजना

बाकी अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूर्व में स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों को से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

विकास जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जाते हैं।

नियुक्ति की शर्तें यह रहेगी- विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अहर्ता दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में जमा करना अनिवार्य

होगा।

यदि किसी उम्मीदवार ने परिवीक्षा अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, तो उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, बिना परिवीक्षा अवधि बढ़ाए।

सीएम ने टीम को दी बधाई- बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने संबोधन में रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को देश के श्रेष्ठतम पुलिस थानों की रैंकिंग में नवी रैंक मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध के ग्राफ आपराधिक प्रकरणों को सुलझाने की अवधि स्वच्छता अधिकारियों कर्मचारियों का व्यवहार जैसे 70 मापदंडों के परीक्षण के आधार पर प्राप्त यह रैंक प्रदेश के लिए पूर्व का विषय है।

## संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं, टेलीकॉम मंत्री का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दूरसंचार विभाग ने भारत में बने नए या इपोर्ट किए गए सभी मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। संचार साथी एक सरकारी मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे लेकर दावा है कि इसके साथ स्मार्टफोन चलाना ज्यादा अधिक सुरक्षित है। यह ऐप यूजर्स को अपने मोबाइल कनेक्शनों को ट्रैक करने, यह जांचने कि उनका फोन असली है या नहीं और फोन खो जाने या चोरी होने पर उसे ब्लॉक करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह ऐप सदिग्ध कॉल, धोखाधड़ी के प्रयास और सदिग्ध लिंक को रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है। कल से संचार साथी



सरकार पर इस ऐप के जरिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। अब टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने

ऐप पर छिड़े बवाल के बाद इस पर स्पष्टता दी है। अब दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि संचार साथी ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है। टेलीकॉम मंत्री सिंधिया ने कहा कि ऐप से किसी की जासूसी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, 'हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, संचार साथी एक ऐप-पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर सकता है। यह जनभागीदारी का एक कदम है। लोगों को इस पर आपत्ति नहीं स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो इससे यह पता कर सकते हैं कि नंबर फेक है।

## चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा

# मोदी सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया

## ● 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा, पीएम मोदी देंगे संबोधन

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में दो दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया, 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा- एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम् पर चर्चा सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से की जाएगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं, चुनाव सुधारों (एसआईआर) पर चर्चा मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी; चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।



## बरेली में मैरिज लॉन तोड़ने पर पुलिस से भिड़ी महिलाएं

बरेली (एजेंसी)। बरेली में तौकीर राजा के करीबियों पर बुलडोजर ऐक्शन जारी है। मंगलवार को सपा नेता सरफराज बली खान और राशिद खान के मैरिज लॉन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। मौके पर 2 बुलडोजर पहुंच चुके थे। 5 थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंची। बुलडोजर और पुलिस टीम से महिलाओं की झड़प हो गई। इससे पहले सोमवार को पुलिस फोर्स की कमी के चलते बुलडोजर नहीं चल



सका था। बता दें, 23 नवंबर को मोहम्मद आरिफ की 3 मंजिला बिल्डिंग और दो मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला था। इस तरह अब तक तौकीर राजा के करीबियों की 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। तौकीर राजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिसा का मास्टरसाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं।

### कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

- मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई,कोई विस्फोटक बरामद नहीं

मुंबई (एजेंसी)। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ए-1234 को मंगलवार सुबह बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक, हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल मिला था, जिसमें विमान में बम होने की बात लिखी थी। इसके बाद तुरंत सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एयरबस विमान रात 1.56 बजे कुवैत से उड़ा था और सुबह 8.10 बजे मुंबई के



छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारकर एयरपोर्ट के अलग-थलग इलाके में ले जाया गया है, जहां बम स्वचायड और सुरक्षा टीमें पूरी जांच कर रही हैं। यात्रियों और कू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि धमकी की जांच जारी है। अभी तक किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है। आगे की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही सामने आएगी। विमान में बम होने की सूचना मिलने पर फ्लाइट को अपने निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। इससे ईंधन की खपत तो ज्यादा होती ही है, विमान की दोबारा जांच करने, यात्रियों को होटलों में ठहराने की व्यवस्था करनी पड़ती है।

### जब हाईकमान कहेगा डीके शिवकुमार सीएम होंगे

- कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले-हमारे बीच मतभेद नहीं

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि जब हाईकमान कहेगा, तब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने यह बात शिवकुमार को कब सीएम बनाया जाएगा से जुड़े सवाल पर कही। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और दोनों राज्य सरकार को एकजुट होकर चला रहे हैं। इससे पहले दोनों ने मंगलवार को फिर आपने में ब्रेकफास्ट किया। ये 4 दिन में दूसरी बार है जब दोनों की साथ



में नाश्ते पर मीटिंग हुई। सिद्धारमैया मंगलवार सुबह शिवकुमार के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत डीके शिवकुमार और उनके भाई, पूर्व सांसद डीके सुरेश ने किया। इसके बाद तीनों ने साथ बैठकर पारंपरिक नाटी चिकन और इडली लुफ उठाया। दरअसल दोनों नेताओं की ये मुलाकात हाईकमान के आदेश के बाद हो रही हैं। पिछले 22 दिनों से दोनों गुटों के कार्यकर्ता अपने-अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे हैं। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5-2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इसे नकारते आए हैं।

## डॉ. शाहीन की कार से मिली असाल्ट राइफल-पिस्टल

● अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी ब्रेजा कार में छिपाई थी ● दिल्ली ब्लास्ट में एनआई ने 30 डॉक्टरों के लिए बयान

फरीदाबाद (एजेंसी)। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट के बाद शाहीन की गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी उसकी ब्रेजा कार से जांच के दौरान एक 'क्रिनकोव' असाल्ट राइफल और एक विदेशी पिस्टल बरामद हुई थी। 13 नवंबर को बरामद इस कार की जानकारी अब सामने आई है। यही वह कार है, जिसे 25 सितंबर 2025 को खरीदा गया था। एजेंसी से कार की डिलीवरी के समय डॉ. शाहीन के साथ डॉ. मुजम्मिल शकील भी था। सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीर डाली गई थी। सूत्रों के मुताबिक, डॉ. शाहीन की कारों को अक्सर डॉ. मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। जिन गाड़ियों में विस्फोटक सामग्री को छुपाई की दुलाई थी, वे भी डॉ. शाहीन और



डॉ. उमर नबी के नाम ही थी। इसी बीच यूनिवर्सिटी में जब शाहीन के कमरे की तलाशी ली तो वहां बनाए गए सीक्रेट लॉकर से 18.50 लाख कैश, सोने के 2 बिस्कुट, खाड़ी देशों की करेंसी बरामद हुई थी। डॉ. शाहीन अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की गिरफ्त में हैं। एजेंसी अभी तक यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। इन डॉक्टरों में अधिकतर जम्मू-कश्मीर से संबंध रखते हैं। जांच एजेंसी इन डॉक्टरों का बैकग्राउंड खंगाल रही है। डॉ. शाहीन ने 25 सितंबर को फरीदाबाद के नीलम चौक स्थित शोरूम से यह ब्रेजा कार खरीदी थी। इस गाड़ी को 10 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट देकर खरीदा गया था। गाड़ी की डिलवरी लेते समय डॉ. मुजम्मिल साथ में गया था। दोनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी थी।

## मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सब कुछ होगा हाईटेक

अब सेवातीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर अब सेवातीर्थ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) जल्द ही साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए 'सेवा तीर्थ' कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा।

यह बड़ा बदलाव दशकों बाद हो रहा है। नया पीएमओ सेवा तीर्थ-1 से काम करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में बनी तीन नई आधुनिक इमारतों में से एक है। इसी कॉम्प्लेक्स की सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3 इमारतों में कैबिनेट सेक्रेटरीएट और नेशनल सिक्वोरिटी एडवाइजर का ऑफिस होगा। यह शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन ने चीफ ऑफ डिफेंस



तेज बनाएगा और भारत सरकार के काम करने के तरीके में एक नया अध्याय लिखेगा। यह नया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स वायु भवन के पास

एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में बनाया गया है। इसमें तीन शानदार इमारतें हैं। इनमें से पहली इमारत,सेवा तीर्थ-1, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का नया घर बनेगी। यह साउथ ब्लॉक से दशकों बाद हो रहा एक बड़ा बदलाव है। बाकी दो इमारतें, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3, भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सेक्रेटरीएट का दफ्तर होगा। यह वो जगह है जहां सरकार के बड़े फैसले लिए जाते हैं। सेवा तीर्थ-3 में नेशनल सिक्वोरिटी एडवाइजर का ऑफिस होगा। एनएसए देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मामलों को देखते हैं। यह शिफ्टिंग का काम अब शुरू हो गया है। हाल ही में, 14 अक्टूबर को, कैबिनेट सेक्रेटरी ने महत्वपूर्ण मीटिंग की थी।

## कनाडा में हरियाणा के युवाओं को रोजगार में मिलेगी प्राथमिकता

- सीएम की कनाडा राजदूत से मीटिंग, वेस्ट एनर्जी-विद्युत उत्पादन में भागीदारी पर चर्चा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के युवाओं को कनाडा में रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सैनी और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने इसको लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात में हरियाणा के साथ नए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बढ़ाना बैठक का उद्देश्य रहा। मीटिंग में तय किया गया कि हरियाणा के स्किलड युवाओं को कनाडा में रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान तय किया गया कि कनाडा में प्रदेश के कुशल उद्यमियों को व्यापार स्थापित करने में भी कनाडा मदद करेगा। कनाडा के विश्वविद्यालय को प्रदेश में स्थापित करने और निवेशकों के हरियाणा में निवेश के विस्तृत रोडमैप पर भी सीएम



सैनी और कनाडा के राजदूत की चर्चा हुई। विदेश सहयोग विभाग के सौजन्य से दोनों पक्षों के बीच ये मुलाकात कराई गई। इससे पहले 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की टोचियों में जापानी कंपनियों के निवेशकों और उद्यमियों से मुलाकात हुई थी। इस दौरान कपड़ा समाधान और उन्नत सामग्री निर्माण में विश्व स्तर पर काम करने वाली सेडरेन कंपनी के साथ समझौता (एमओयू) किया गया।

## नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ की मजबूत तैनाती

- भारतीय नौसेना प्रमुख बोले- ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी

अरब सागर में लगातार ऑपरेशंस चल रहे, पाक को नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मई 2025 में शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ मजबूत तैनाती की। इसके कारण पाकिस्तान नौसेना अपने जहाज बंदरगाहों से बाहर नहीं निकाल सकी और अरब सागर के पास मकरान तट तक ही सीमित होकर रह गई। नेवी चीफ ने कहा कि बीते 7-8 महीने से पश्चिमी अरब सागर में हमारे ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे चलते पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यापारी जहाजों के रूट कम हुए हैं। उनकी बीमा राशि महंगी हुई है। इसके चलते पड़ोसी



देश पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। नेवी चीफ ने मंगलवार को दिल्ली में नेवी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के अभियान में नेवी यूनिट्स ने पिछले

साल अन्त्य राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 43,300 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। हम पहले रिसॉन्ड के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बहुत प्रभावी तरीके से निभा रहे हैं और हमें इस पर गर्व है।

## कटनी कलेक्टर की बात सुन दुखी हुआ मजदूर

केबिन के सामने किया आत्मदाह का प्रयास, पेट्रोल लेकर पहुंचा था जन सुनवाई में

कटनी (नप्र)। कटनी कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान एक मजदूर ने अपने ऊपर पेट्रोल डुल्ले आत्मदाह का प्रयास किया। पूरा घटनाक्रम कलेक्टर केबिन के सामने हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आत्मदाह का प्रयास करने वाले मजदूर का नाम भारत पटेल है। वो स्लीमना बाद थाना क्षेत्र के धुरी ग्राम का रहने वाला है। भारत पटेल ने बताया कि वह एक साल से लगातार जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाने के लिए आ रहा है, लेकिन उसे अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। इसलिए उसने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। परेशानी के कारण उसने आज यह आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया।

क्या है मामला- भारत पटेल का कहना है कि पिछले साल 23 दिसंबर 2024 को ग्राम के ही कुछ दबंगों ने थाने में पुलिसवालों से उसकी पिटाई कराई थी। पूरे शरीर पर चोटें आई थीं। उससे उठते-बैठते तक नहीं बनता है। इस वजह से उसे अभी भी इलाज कराना पड़ रहा है।



उसने शुरुआत में तो इलाज करवाया, लेकिन अब आर्थिक समस्या के चलते वह आगे का इलाज कराने में असमर्थ है। उसकी हालत दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन उसे सरकारी अस्पताल में भी उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है।

कलेक्टर की बात सुन हुआ

दुखी- पीड़ित का कहना है कि आज कलेक्टर को अपनी पूरी समस्या बताई। उन्होंने हर बार की तरह आज फिर केवल जिला अस्पताल में जाकर इलाज कराने की सलाह दी। उधर, पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें शह दे

रही है।  
क्या कहते हैं जिम्मेदार...- जनसुनवाई में मेरी फरियादी से मुलाकात हुई। उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बताई थी। मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था। ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अर्पोइंटमेंट भी फिक्स कराया था। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुछ इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। उनको जिला अस्पताल भेजा गया है जहां उनका उपचार जारी है। आशीष तिवारी, कलेक्टर  
फरियादी का जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है। स्लीमनाबाद थाने में दोनों पक्षों की ओर से मामला भी पंजीकृत है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके, पुलिस पर एक-पक्षीय कार्रवाई करने की शिकायत फरियादी द्वारा की जा रही है। जिस पर फरियादी को समझाया गया है और उनकी शिकायत को विस्तार से समझा भी गया है। अगर फिर भी कोई शिकायत है, तो उस पर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।  
- अभिनय विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक

## इंसानियत के नाते भारत ने पाक के लिए खोल दिया एयरस्पेस

मदद लेकर श्रीलंका जाएगा विमान, पहलगाम हमले के समय बंद किया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट को अपने एयरस्पेस से गुजरने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सिर्फ 4 घंटों के अंदर दी गई। ओवरफ्लाइट यानी, जब कोई विदेशी विमान किसी देश की सीमा के ऊपर से गुजरता है, लेकिन वहां लैंड नहीं करता, तो उसे ओवरफ्लाइट कहते हैं। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे भारतीय एयरस्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की रिवेस्ट की थी। पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को ही ओवरफ्लाइट इजाजत मांगी थी।



इसका मकसद श्रीलंका को मानवीय मदद देना बताया गया। इसे देखते हुए भारत ने बहुत तेजी से रिवेस्ट प्रोसेस की। इस दौरान सोमवार को 5.30 बजे आधिकारिक चैनलों के जरिए पाकिस्तानी विमान को भारतीय

हवाई क्षेत्र से गुजरने की परमिशन दी गई। इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार को दे दी गई। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया था।

दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन

हुई डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी

10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने डॉ. उमर नबी ने खुद को विस्फोट से लदी आई 20 कार समेत उड़ा लिया था। अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस के इन्पुट पर फरीदाबाद पुलिस ने डॉ. शाहीन को हिरासत में लिया था। पुलिस ने जब हॉस्पिटल के ब्लॉक नंबर 15 में उसके फ्लैट नंबर 32 की तलाशी ली तो पुलिस को वहां पर नई ब्रेजा कार चाबी मिली। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें हथियार मिले। हालांकि तब इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। शाहीन की गाड़ी से पुलिस को जो क्रिनकोव असाल्ट राइफल बरामद हुई, वह काफी अहम है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कम जगह पर आसानी से रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि कॉम्पैक्ट राइफल 1979 में सोवियत संघ में बनाई गई थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद की गई पूछताछ में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया।











